

16/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थो
 उपास्थित। वेदम समायत की गई।
 संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि
 यह शार्धना पत्र पार्थो ने अन्तर्गत
 धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
 अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया-

५२
 उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला-बीकानेर

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नौखड़ा में स्थित जार्जी अपने खेत खसरा 19, 458/15 एवं 14 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 943/76 में स्थित पक्की रोड़ से खसरा नम्बर 943/76 में 248.3 मीटर, ख. नं. 77 में 411.7 मीटर, ख. नं. 70 में 71.88 मीटर, 449/79 ख. नं. में 192 मीटर, ख. नं. 448/79 में 281.9 मीटर, ख. नं. 758/68 में 513.3 मीटर, ख. नं. 67 में 135.8 मीटर, ख. नं. 17 में 318.6 मीटर, ख. नं. 19 में 603.5 मीटर एवं ख. नं. 458/15 में 556.315 मीटर इस प्रकार कुल 3333.3 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा कुल 1.9999 हेक्टेयर के स्थान पर कुल 2.00 हेक्टेयर मार्ग आवागमन के लिए निम्नानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाने बाबत - निवेदन किया है मादि - मादि - पेशकार राज उपस्थित। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत में रिपोर्ट ली गई। पत्रवाच्य की बहम समाप्त की गई। प्रार्थना ने नवीन रास्ता स्वीकृति हेतु, स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है।

अतः आपसी सहमति के फलस्वरूप ग्राम नौखड़ा में स्थित जार्जी के द्वारा

